जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.209)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी-869 दिनांक : 23.2.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	209.1	कार्यकारी समिति की 208 वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 208 वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	209.2	कार्यकारी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	209.3	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एफ- 407 के स्थान पर ई-634 (कॉर्नर) का आवंटन करने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एफ- 407 के स्थान पर ई- 634 (कॉर्नर) का आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त (जोन-13)
4.	209.4	आवास संख्या ए-425 योजना नारदपुरा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-425 योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त (जोन-10)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
5.	209.5	योजना में भूखण्डों की नीलामी की शर्त संख्या 9 (आवासीय) एवं शर्त संख्या 10 (व्यावसायिक) में संशोधन बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात योजना में भूखण्डों के e-auction के लिए दी गई शर्तों के साथ समानता रखने के लिए शर्त संख्या 9 (आवासीय) एवं शर्त संख्या 10 (व्यावसायिक) में एजेण्डा में अंकित प्रस्तावानुसार संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
6.	209.6	Agenda Note for Approval of tender for the work of "Construction of 2 Nos TW's, SR, CWR & Pump house, P/L/J of DI pipe line for Raising Main & GI Distribution network for Kitchen's and Dharmashalla at Khole ke Hanuman ji under jurisdiction of EE-PHE-II Jaipur" in favour of overall lowest bidder (L1) M/s Ramswaroop Tiwari.	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of 2 Nos TW's, SR, CWR & Pump house, P/L/J of DI pipe line for Raising Main & GI Distribution network for Kitchen's and Dharmashalla at Khole ke Hanuman ji under jurisdiction of EE-PHE-II Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स रामस्वरूप तिवारी के पक्ष में एजेण्डा में उल्लेखित दरों पर कुल राशि रूपए 93,56,079.00 की निविदा की बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई। भविष्य के लिए यह भी निर्देश प्रदान किए गए कि 60 दिवस के उपरान्त निविदा स्वीकृति के प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करते समय 60 दिवस में प्रकरण का निस्तारण	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

341

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			क्यों नहीं किया गया, यह भी स्पष्ट किया जावे।	
7.	209.7	मूर्तिकला विहार योजना में भूखण्ड संख्या 297 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात मूर्तिकला विहार योजना में भूखण्ड संख्या 297 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त (जोन-12)
8.	209.8	मूर्तिकला विहार योजना में भूखण्ड संख्या 1192 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात मूर्तिकला विहार योजना में भूखण्ड संख्या 1192 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त (जोन-12)
9.	209.9	Approval for withdrawal of a particular road "Tonk road to Jaipuria Hospital" from D.L.P. renewed in the work "Construction & Renewal of internal roads in various	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार "Tonk road to Jaipuria Hospital" को "Construction & Renewal of internal roads in various colonies in Zone -4,	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		colonies in Zone -4, JDA, Jaipur.	JDA, Jaipur" के DLP से वसूली के साथ Withdraw किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
10.	209.10	खसरा नं. 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 36 की नजराना राशि 3 वर्ष 9 माह देरी से जमा होने पर नियमितीकरण बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात खसरा नम्बर 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 36 के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त (जोन–2)
11.	209.11	आवासीय भूखण्ड संख्या 4/296 विद्याधर नगर सैक्टर–4 में नीलामी के दिन 5 प्रतिशत राशि पूर्ण नहीं जमा कराने के कारण नियमित करने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार आवासीय भूखण्ड संख्या 4/296 विद्याधर नगर सैक्टर–4 में नीलामी के दिन 5 प्रतिशत राशि पूर्ण नहीं जमा कराने को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
12.	209.12	"Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I)".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I)" के लिए रूपए 1,66,83,746.00 की बैंक गारण्टी को स्वीकार करने एवं	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट एलएलपी के पक्ष में "G-Shedule" पर 15.13% कम दर पर राशि रूपए 9,35,85,563.56 की निविदा की एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई।	
13.	209.13	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-80 को नियमितिकरण करने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-80 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त (जोन-13)
14.	209.14	Approval for the work of SITC of 33/11KVS/S in rehabilitation scheme at Kalwara and Teelawas for farmers whose land were acquired for Mahindra SEZ Jaipur. (Remaining work)	(i) विचार-विमर्श पश्चात "SITC of 33/11KVS/S in rehabilitation scheme at Kalwara and Teelawas for farmers whose land were acquired for Mahindra SEZ Jaipur. (Remaining work)" के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स जे. के. इलैक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर के पक्ष में "G-Shedule based on JDA Elect. BSR 2016" पर 16.51% कम दर पर राशि रूपए 3,34,90,546.00 की निविदा की	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			स्वीकृति प्रदान की गई। (ii) यह भी निर्णय लिया गया कि प्राप्त निविदाओं में कम टेण्डर प्रीमियम के फलस्वरूप पी. डब्ल्यू. डी. की तर्ज पर परफोर्मेंस सिक्युरिटी को बैंक गारण्टी के रूप में लिए जाने तथा पी. डब्ल्यू. डी. के अनुसार यह प्रक्रिया जयपुर विकास प्राधिकरण में भी लागू किया जावे अथवा नहीं, इस बाबत अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए निम्न अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जावे :- 1. निदेशक (वित्त) - अध्यक्ष 2. अति. मुख्य अभियंता-द्वितीय-सदस्य 3. अति. मुख्य अभियंता-विद्युत-सदस्य 4. अति. मुख्य अभियंता-पीएचई-सदस्य यह कमेटी आगामी कार्यकारी समिति की बैठक से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।	
15.	209.15	Approval of Tender for the work "Construction & Widening of road from Ajitgarh road to Veer Hanuman ji Temple via Parmanpura, JDA Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Construction & Widening of road from Ajitgarh road to Veer Hanuman ji Temple via Parmanpura, JDA Jaipur" के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR 2016" पर 30.06% कम दर पर राशि रूपए 9,95,31,146.52 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

345

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
16.	209.16	"Development of walk through war museum at "Amar Jawan Jyoti" JDA, Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात "Development of walk through war museum at 'Amar Jawan Jyoti' JDA, Jaipur" के Final Work Deviation (Minor changes in work) में एजेण्डा में उल्लेख अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
17.	209.17	जविप्रा में सिविल वर्ग की ''AA'' श्रेणी में सवेंदकों के पंजीयन हेतु सक्षम प्राधिकारी परिवर्तन बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में सिविल वर्ग की ''AA'' श्रेणी में सवेंदकों के पंजीयन हेतु सक्षम प्राधिकारी जयपुर विकास आयुक्त के स्थान पर संशोधित कर जयपुर विकास आयुक्त, निदेशक (अभियांत्रिकी), निदेशक (वित्त) की कमेटी के द्वारा किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
18.	209.18	Approval for rejection of tender and permission for retendering for the work of "Construction of Drain at Sirsi Road from Panchyawala to Jarkhand Mod Zone-7, JDA Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Drain at Sirsi Road from Panchyawala to Jarkhand Mod Zone-7, JDA Jaipur". के लिए पूर्व में की गई निविदा को निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस प्रकरण में नई निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
19.	209.19	Approval of tender for the work of "Construction of Service road ROB Jagatpura to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Service road ROB Jagatpura to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur". के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Avani Construction Co. के पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR 2016" पर 29.33% कम दर पर राशि रूपए 2,33,31,732.87 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	
20.	209.20	Approval for rejection of tender and permission for retendering for the work of "Development of Drainage System for Gopalpura Byepass from 200 feet bypass to Gurjar ki Thadi under Drainage II (Phase-I), JDA, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Development of Drainage System for Gopalpura Byepass from 200 feet bypass to Gurjar ki Thadi under Drainage II (Phase-I), JDA, Jaipur" के लिए Procurement को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस प्रकरण में नई निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
21.	209.21	Ex post facto ratification for the approval of the tender for the work "Construction for RUB on Jaipur-Sikar Railway line Near Bridge no. 107 to connect Anand Lok and Swapan lok JDA schemes."	विचार–विमर्श पश्चात "Construction for RUB on Jaipur-Sikar Railway line Near Bridge no. 107 to connect Anand Lok and Swapan lok JDA schemes." के लिए एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
22.	209.22	Tender for the work "Renewal and repairing of BRTS corridor on Sikar Road, from C-Zone bye pass to Panipech, Zone_BRTS (Projest-1), JDA, Jaipur (Various General maintenance and furnishing work excluding Bituminous works)".	विचार–विमर्श पश्चात विचारणीय निविदा को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि अतिआवश्यक रख–रखाव के लिए केवल रूपए 90.00 लाख की सीमा तक ही व्यय किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
23.	209.23	Approval of tender for the work of "Development work of Ramchandrapura scheme, Jagatpura, JDA, Zone-9, JDA,	विचार–विमर्श पश्चात "Development work of Ramchandrapura scheme, Jagatpura, JDA, Zone-9, JDA, Jaipur" के लिए निविदा का	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Jaipur"-	अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स जय हनुमान कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR-2016" पर 31.95% कम दर पर राशि रूपए 61,87,322.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	
24.	209.24	Ratification & Ex-post facto approval of RFP documents, approval of tender and waiver of issuance of TS for the work of "Provisioning & Integration Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensors, Structural Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services for 3 years under Phase 3."	विचार–विमर्श पश्चात "Provisioning & Integration Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensors, Structural Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services for 3 years under Phase 3." के लिए एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों यथा :– 1. RFP डॉक्यूमेंट की स्वीकृति 2. प्राप्त निविदा के आधार न्यूनतम दर दाता मैसर्स एच. एफ. सी. एल. को रूपए 39.00 करोड़ के दिनांक 16.12.2016 को जारी किए गए कार्यादेश की स्वीकृति, एवं 3. तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
25.	209.25	Regarding Ratification & Ex-post facto approval of RFP documents, approval of tender and waiver of issuance of JDA TS for the Work of "SITC of Integrated Network	विचार–विमर्श पश्चात "SITC of Integrated Network Operation Center (NOC) and IT support centre at JDA with Facility Management Services for 5 years". के लिए	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Operation Center (NOC) and IT support centre at JDA with Facility Management Services for S years".	एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों यथा :- 1. RFP डॉक्यूमेंट की स्वीकृति 2. प्राप्त निविदा के आधार न्यूनतम दर दाता मैसर्स निकोम इनफ्रा सॉल्यूशन को रूपए 6.40 करोड़ के दिनांक 28.12.2016 को जारी किए गए कार्यादेश की स्वीकृति, एवं 3. तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
26.	209.26	Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including Area Development on Turnkey Basis, and its operation& maintenance (O&M) for a period of 10 Years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशह नाला (द्रव्यवती नदी) के कायाकल्प एवं विकास कार्य हेतु उन आपूर्तिकर्ता जो आपूर्ति करने के आदेश की दिनांक पर IS License तथा न्यून्तम एक वर्ष का उत्पादन अनुभव रखता हों, के द्वारा HDPE-DWC Pipes के स्थान पर 1000 mm व्यास से अधिक के Precast cement concrete hume pipes उपयोग में लेने का निर्णय लिया गया। उक्त परिवर्तन के कारण लागत में आ रहे राशि विचलन (यदि हो) का आकलन तकनीकी रूप से दक्ष स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया जाकर राशि की वसूली संवेदक TPL-SUCG के बिल से किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
27.	209.27	Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including Area Development on Turnkey Basis, and its operation & maintenance	विचार-विमर्श पश्चात IIT द्वारा स्वीकृत डिज़ाईन/ड्राईंग के अनुसार RIICO क्षेत्र में 100 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		(O&M) for a period of 10 Years.	प्लान्ट (STP) के निर्माण में एजेण्डा नोट में दिए गए प्रस्तावानुसार Technical variation की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त यूनिटों की संख्या एवं यांत्रिक परिवर्तन के कारण लागत में आ रहे राशि के विचलन (यदि हो) का आकलन तकनीकी रूप से दक्ष स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया जाकर अधिक राशि की वसूली संवेदक TPL-SUCG को भुगतान किए जाने वाली राशि से किए जाने का निर्णय लिया गया।	
28.	209.28	Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including Area Development on Turnkey Basis, and its operation & maintenance (O&M) for a period of 10 Years.	विचार–विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में प्रदूषित जल/उपचारित जल के परिवहन हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले HDPE-DWC Pipes के आपूर्तिकर्ता को BIS एवं पाईप उत्पादन के लिए न्यूनतम दो वर्ष (अनुबंध की तारीख 18.03.2016 को) के स्थान पर उक्त पाईप की आपूर्ति की दिनांक को BIS Licence उपलब्धता व उत्पादन अनुभव में एक वर्ष की शिथिलता दिए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
29.	209.29	Agenda for approval of Terms & Conditions of NCRPB for granting Financial assistance for "Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River) including area Development in Jaipur City by JDA".	विचार–विमर्श पश्चात NCPRB से स्वीकृत राशि रूपए 1098 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–	निदेशक (वित्त)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			1. NCPRB से स्वीकृत रूपए 1098 करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु NCPRB द्वारा निर्धारित ऋण अनुबन्ध प्रारूप एवं Tripartite Escrow Agreement के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। 2. Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River) including area Development in Jaipur City परियोजना हेतु NCPRB से प्राप्त किये जाने वाले रूपए 1098 करोड़ के ऋण हेतु राजकीय प्रत्याभूति (Govt. Guarantee) राज्य सरकार से दिलवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 3. उक्त ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति के विरूद्ध 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष (उस वर्ष में लोन की शेष रही राशि पर) की दर से देय प्रत्याभूति कमीशन (लगभग रूपए 93.24 करोड़) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	
30.	209.30	राजस्व ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में आनन्द लोक फेज-द्वितीय योजना में आरक्षण-पत्र के आधार पर क्रय क्षेत्रफल का नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में आनन्द लोक फेज-द्वितीय योजना में आरक्षण-पत्र के आधार पर क्रय क्षेत्रफल का नाम हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।	उपायुक्त (ज़ोन-12)
31.	209.31	Agenda for approval of Terms & conditions of NCRPB for granting financial assistance for ROBs/RUB & Elevated Road and loan	प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श पश्चात NCRPB से स्वीकृत रूपये 565.42 करोड़ की राशि का ऋण प्राप्त करने के	निदेशक (वित्त)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

351

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एजेण्डा संख्या</th><th>विषय</th><th>बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव</th><th>सम्बन्धित अधिकारी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>agreement and Tripartite Escrow agreement with NCRPB.</td><td>लिए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-
1. NCRPB के ऋण प्राप्ति हेतु स्वीकृति आदेशों का विवरण जो निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Name of Work</th><th>Sanctioned order No. & Date</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ROB Sitapura</td><td>No. 1-12014(4)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Dantli ROB</td><td>No. 1-12014(2)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jahota ROB</td><td>No. 1-12014(6)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Anand Lok RUB</td><td>No. 1-12014(7)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hawa Sarak Elevated road</td><td>No. 1-12014(8)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 03.02.2017</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Bassi ROB</td><td>No. 1-12014(5)/Raj .(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Jhotwara ROB</td><td>No. 1-12014(3)/Raj.(JDA)/2016-17/NCRPB Dated 06.02.2017</td></tr>
</table>
उपरोक्त आदेशों में उल्लेखित आवश्यक निर्देशों को तथा बोर्ड की वर्तमान पोलिसी के अनुसार ऋण अनुबन्ध करते समय तथा ऋण आवंटन से पूर्व विभिन्न वांछित दस्तावेज (निर्धारित प्रारूप में) उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन</td><td></td></tr>
</table>

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			किया गया। 2. NCRPB से स्वीकृत रूपये 565.42 करोड़ ऋण प्राप्त करने हेतु NCRPB के द्वारा निर्धारित ऋण अनुबंन्ध तथा Tripartite Escrow Agreement के प्रारूप को अनुमोदित किया।	
32.	209.32	Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including Area Development on Turnkey Basis, and its operation & maintenance (O&M) for a period of 10 Years.	विचार-विमर्श पश्चात IIT द्वारा स्वीकृत डिज़ाईन/ड्राइंग के अनुसार बम्बाला स्थित 25 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) के निर्माण में एजेंण्डा नोट में दिए गए प्रस्तावानुसार Technical variation की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त यूनिटों की संख्या एवं यांत्रिक परिवर्तन के कारण लागत में आ रहे राशि के Variation (यदि हो) का आकलन तकनीकी रूप से दक्ष स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया जाकर अधिक राशि की वसूली संवेदक TPL-SUCG को भुगतान किए जाने वाली राशि से किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 को सायंकाल 05:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री बृजेश किशोर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री ए.के. कुमावत	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री एस.एस अग्रवाल	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री डा. तेजपाल सिंह	अति. पुलिस उपायुक्त. मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री ओ.पी. बुनकर	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री राजकुमार शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता- II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री अशोक चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता-पीएचई	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री बी.डी. शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता- IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बीरबल सिंह	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री मनोज सोनी	अधीक्षण अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री अजय गर्ग	अधीक्षण अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता- VI	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता- VII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री टी.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता- IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री एम .अहमद	अधीक्षण अभियन्ता- III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
24.	श्री राम प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता- XIII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता- 12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री एस.सी. मीणा	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री जी.एल.अग्रवाल	अधिशाषी अभियन्ता 12ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री विनोद कृष्णया	अधिशाषी अभियन्ता-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री देवेन्द्र कुमार	अधिशाषी अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री दीपक माथुर	अधिशाषी अभियन्ता-(अमानीशा नाला)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्री मनोज कुमार सिंह	अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई- II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32.	श्री जी.एल. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-(विद्युत- II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33.	श्री आर. के. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34.	श्री सलीम अहमद	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35.	श्री एस. विक्रम सिंह	अधिशाषी अभियन्ता-आर.ओ.बी I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36.	श्री एल. एन. मितल	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37.	श्री दीपक बालचन्दानी	अधिशाषी अभियन्ता-ड्रेनेज	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
38.	श्री सुनील शुक्ला	अधिशाषी अभियन्ता-(आर.ओ.बी III)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
39.	श्री देवेश गुप्ता	सहायक अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
40.	श्री गुलाब सिंह	सहायक अभियन्ता-ड्रेनेज	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
41.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.209)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–869 दिनांकः 23.2.2017

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एस. मित्रा)
सयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

356

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :– प–2(ई.सी.209)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2017/डी–962 दिनांकः 26.4.2017

शुद्धि–पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 के एजेण्डा संख्या 209.12, जो कि "Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I)" से सम्बन्धित है, के निर्णय में सहवन से "विचार–विशर्मा पश्चात Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I) के कार्य की निविदा पूर्व में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2015 (एजेण्डा संख्या 197.17) को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः पूर्व में स्वीकृत निविदा के क्रम में उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत राशि रूपए 1,66,83,746/– की बैंक गारण्टी को स्वीकार करने एवं न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट एलएलपी को कार्यादेश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।'' के स्थान पर "विचार–विमर्श पश्चात Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I) के लिए रूपए 1,66,83,746.00 की बैंक गारण्टी को स्वीकार करने एवं न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट एलएलपी के पक्ष में "G-Shedule" पर 15.13% कम दर पर राशि रूपए 9,35,85,563.56 की निविदा की एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई।'' अंकित हो गया है।

अतः उक्त निर्णय में "विचार–विमर्श पश्चात Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I) के लिए रूपए 1,66,83,746.00 की बैंक गारण्टी

को स्वीकार करने एवं न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट एलएलपी के पक्ष में "G-Shedule" पर 15.13% कम दर पर राशि रूपए 9,35,85,563.56 की निविदा की एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई।'' के स्थान पर "विचार–विमर्श पश्चात Construction of 200 feet wide road from 250 feet road to 160 feet wide road Khatwara in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I) के कार्य की निविदा पूर्व में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2015 (एजेण्डा संख्या 197.17) को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः पूर्व में स्वीकृत निविदा के क्रम में उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत राशि रूपए 1,66,83,746/- की बैंक गारण्टी को स्वीकार करने एवं न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट एलएलपी को कार्यादेश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।'' पढ़ा जावे।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर, जयपुर नगर निगम।
5. जिला प्रमुख, ज़िला परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19. निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. उपायुक्त जोन....., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25. सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एस. मित्रा)
संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर